



मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर

MALAVIYA NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY JAIPUR

राजभाषा प्रकोष्ठ/Hindi Cell



हिंदी कार्यशाला का आयोजन

विषय : “संघ की राजभाषा नीति”
आयोजक : राजभाषा प्रकोष्ठ, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर
तिथि : 17 सितंबर 2026
समय : प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक
स्थान : बैठक कक्ष, केन्द्रीय पुस्तकालय, एमएनआईटी जयपुर
मुख्य वक्ता : श्री महेश चंद्र गुप्ता, पूर्व मुख्य प्रबंधक (प्रशिक्षण कौशल विकास), गेल (इंडिया) लिमिटेड।

मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के बैठक कक्ष, केन्द्रीय पुस्तकालय में दिनांक 17 सितंबर, 2026 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला विशेष रूप से “संघ की राजभाषा नीति” की प्रक्रिया पर केंद्रित थी, यह कार्यशाला आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों/कर्मचारियों को संघ की राजभाषा नीति, राजभाषा संबंधी संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधानों तथा कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के संबंध में जानकारी प्रदान करना था।

उद्घाटन सत्र :

कार्यशाला के प्रारंभ में आचार्य राजकुमार व्यास, समन्वयक, राजभाषा एवं डॉ. ऋषि कुमार तिवारी, सह समन्वयक, राजभाषा द्वारा प्रशिक्षक श्री महेश चंद्र गुप्ता, पूर्व मुख्य प्रबंधक (प्रशिक्षण कौशल विकास), गेल (इंडिया) लिमिटेड को फूलदान प्रदान कर राजभाषा प्रकोष्ठ की ओर से स्वागत किया गया।

कार्यशाला के आयोजन में आचार्य राजकुमार व्यास, समन्वयक एवं डॉ. ऋषि कुमार तिवारी, सह समन्वयक, राजभाषा ने राजभाषा हिंदी के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के संबंध में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने संस्थान के दैनिक प्रशासनिक एवं कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक एवं प्रभावी प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु उपयोगी एवं व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए।

प्रशिक्षण सत्र:

मुख्य वक्ता श्री महेश चंद्र गुप्ता, ने कार्यशाला के विषय “संघ की राजभाषा नीति” पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविधान के अनुच्छेद 343, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा संकल्प, 1968 तथा राजभाषा नियम, 1976 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है

तथा केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग को बढ़ावा देना राजभाषा नीति का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग, हिंदी में पत्राचार, टिप्पण एवं प्रारूपण तथा निर्धारित राजभाषा प्रावधानों के अनुरूप शासकीय दस्तावेज तैयार करने के संबंध में व्यावहारिक जानकारी दी। साथ ही, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाने के प्रावधान से भी अवगत कराया।

प्रतिभागियों की भागीदारी:

इस कार्यशाला में एमएनआईटी के विभिन्न विभागों एवं अनुभागों से अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों द्वारा राजभाषा नीति एवं उसके कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे गए, जिनका प्रशिक्षक द्वारा विस्तारपूर्वक समाधान किया गया। साथ ही, प्रतिभागियों को कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के संबंध में उपयोगी जानकारी एवं व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

तृतीय हिंदी कार्यशाला – 2026 (17 सितंबर, 2026)								
क्रम संख्या	आयोजन तिथि	महिला अधिकारी	पुरुष अधिकारी	कुल अधिकारी	महिला कर्मचारी	पुरुष कर्मचारी	कुल कर्मचारी	कुल प्रतिभागी
1.	17.09.2026	3	6	9	1	8	9	18

समापन सत्र:

कार्यशाला का समापन अपराह्न 03:00 बजे हुआ। समापन सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने कार्यशाला की विषयवस्तु, उपयोगिता एवं व्यावहारिक महत्व पर अपने विचार व्यक्त करते हुए इसे कार्यालयीन कार्यों के निष्पादन में अत्यंत उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक बताया। प्रतिभागियों ने कार्यशाला में प्राप्त जानकारी एवं मार्गदर्शन को अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों में प्रभावी रूप से अपनाने की बात कही। अतः में श्री कुशाग्र चतुर्वेदी, राजभाषा अधिकारी की ओर से धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।

श्री पवन कुमार शर्मा, अधीक्षक, राजभाषा द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। राजभाषा प्रकोष्ठ ने भविष्य में भी कार्यालयीन कार्यप्रणाली से संबंधित विषय-विशेष आधारित ऐसी उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक कार्यशालाओं के नियमित आयोजन हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

निष्कर्ष:

कार्यशाला के माध्यम से प्रतिभागियों को “संघ की राजभाषा नीति” के विभिन्न पहलुओं, उसके उद्देश्यों तथा कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त हुई। कार्यशाला में यह स्पष्ट किया गया कि राजभाषा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन केवल नियमों के अनुपालन तक समिति न रहकर दैनिक कार्यालयीन कार्यों, पत्राचार, टिप्पण, प्रारूपण एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग से सुनिश्चित किया जा सकता है। कार्यशाला ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को

राजभाषा हिंदी के प्रयोग के प्रति जागरूक करते हुए अपने नियमित कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।

छाया चित्र:

